



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल  
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

पत्रांक – सा0/पीईआर/2018/359

दिनांक – 22.05.2018

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल  
सुरक्षा कर्मियों हेतु निविदा विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के कुलपति आवास, प्रशासनिक भवन, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा एवं महादेवी सृजन पीठ, उमागढ़, रामगढ़ में अनुमानित 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड स्थित अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त पंजीकृत सुरक्षा एजेन्सियों (संस्थाओं में सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव) से दिनांक 05-06-2018 अपराह्न 04:00 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदायें उसी दिन सांय 04:00 बजे खोली जाएंगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य 3,000/- होगा। निविदा प्रपत्र को विभागीय वैब साइट [www.kunainital.ac.in](http://www.kunainital.ac.in) पर डाउनलोड अथवा कार्यालय समय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

पत्रांक – सा0/पीईआर/2018/सुरक्षा/825/

बी0एस0 बिष्ट  
प्रभारी कुलसचिव

पृ0सं0 – सा0/पीईआर/2018/

तददिनांक :

प्रतिलिपि –

1. सम्पादक, हिन्दुस्तान, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अधिकतम 6cm x 4cm Column स्थान में अपने दैनिक समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में दिनांक 23-05-2018 को प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उत्तर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, आज को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र में विश्वविद्यालय हित में निशुल्क छापने का कष्ट करें।
3. सूचना वैज्ञानिक, केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. शुल्क पटल, लेखा अनुभाग, प्रशासनिक भवन, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. निजी सचिव कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
6. वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के अवलोकनार्थ

*Pushishw*  
22.5.18  
प्रभारी कुलसचिव  
*Sim*



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल  
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

पत्रांक - सा0/पीईआर/2018/ 3592

दिनांक - 22.05.2018

निविदा प्रपत्र

(सुरक्षा)

- |   |                                |   |                                  |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि | - | 05-06-2018, सांय 04:00 बजे तक    |
| 2 | कुल पृष्ठ संख्या               | - | 04                               |
| 3 | निविदा प्रपत्र का मूल्य        | - | रु0 3,000/- (रु0 तीन हजार मात्र) |
| 4 | संस्था का नाम एवं पता          | - | .....<br>.....                   |
| 5 | दिनांक                         |   |                                  |

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष एवं मुहर

- नोट : (1) कृपया दरों को अंकित करने से पूर्व निविदा प्रपत्र में दिये गये नियमों/शर्तों का भली प्रकार अध्ययन कर लें।
- (2) दरों को संलग्न निविदा प्रपत्रों में अंको व शब्दों दोनो में अंकित करें।

*Prabhu*  
बी0एस0 बिष्ट 22.5.18  
प्रभारी कुलसचिव  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल  
*Sm*

बिड नं० - 01  
निविदा तकनीकी प्रपत्र (सुरक्षा कार्यो हेतु)

निविदा फार्म शुल्क	-	रु० 3,000/- (रु० तीन हजार मात्र)
निविदा जारी करने की तिथि	-	22-05-2018
निविदा फार्म के पृष्ठों की संख्या	-	04

निविदा दाता को द्वि-निविदा (टू-बिड) प्रणाली के अन्तर्गत बिड सं० - 01 (तकनीकी) तथा बिड सं० - 02 (वित्तीय) निविदा प्रपत्र को अलग - अलग लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। लिफाफों के बाहर बिड सं० (तकनीकी/वित्तीय) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए व दोनों लिफाफों को एक साथ बड़े लिफाफे के अन्दर मुहरबन्द कर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुभव एवं अन्य

- संस्थाओं/राजकीय कार्यालयों में सुरक्षा कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव (जिसमें न्यूनतम 10 कार्मिकों को लगाया हो) का विवरण तथा किसी राजकीय कार्यालय/संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रमाण-पत्र न होने पर ऐसी निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
  - राजकीय कार्यालय/संस्थान का नाम - .....
  - पूर्व वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण - .....
  - न्यूनतम 10 कार्मिक लगाये गये या इससे अधिक का विवरण - .....
  - अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न (हाँ या नहीं) - .....
- उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के शासनादेश सं० 347(1)/VIII/13-228 (श्रम)/2001, दिनांक 06 मार्च 2013 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी/नियमों/कानूनों का पालन सम्बन्धित निविदादाता द्वारा किया जाना होगा।
- निविदा के साथ "निजी सुरक्षा एजेन्सी के कारोबार में नियोजन हेतु लाइसेंस (पसारा) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- संस्था/एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन नं० -.....  
संस्था का नाम एवं पूर्ण पता - .....
- निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति की धनराशि 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के नाम संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे बिड सं० 01 में ही संलग्न करें, अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
- पैन न० .....जी०एस०टी० रजि० न० .....
- प्रतिभूति ड्राफ्ट संख्या - ..... दिनांक .....
- संलग्नकों की संख्या - .....
- टेलीफोन न० - .....मोबाईल न० .....

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं फर्म /संस्था की मुहर

बिड नं0 - 02  
निविदा वित्तीय प्रपत्र (सुरक्षा कार्यो हेतु)

मैं/हमारी संस्था कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पर निम्न कार्य करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

क्रम सं०	विवरण	दर प्रतिमाह
1.	सुरक्षा गार्ड (डण्डा मैन)	

विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान (यथा सर्विस चार्ज, ई0पी0एफ0, बीमा, बोनस, लेबर रजिस्ट्रेशन, ई0एस0आई0, मैडिकल फ़ैसिलिटी एवं वस्तु एवं सेवाकर इत्यादि) पृथक से नहीं किया जाएगा। अतः दरें तदनुसार ही अंकित करें।

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं फर्म /संस्था की मुहर

### शर्तें

1. निविदादाता द्वारा निविदा को सावधानी पूर्वक भरा जाये, यदि कहीं भी कटिंग, ओवरराईटिंग/इरेजिंग करने की आवश्यकता हो तो काटकर अलग से स्पष्ट लिखें व अपने लघु हस्ताक्षर भी करें। अन्यथा निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा एक समान न्यूनतम मासिक दरें प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से निविदायें स्वीकृत की जायेंगी, जो सभी निविदादाताओं को मान्य होंगी।
3. उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के शासनादेश सं० 347(1)/VIII/13-228 (श्रम)/2001, दिनांक 06 मार्च 2013 के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी एजेन्सी द्वारा अनुमन्य करायी जाएगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी जानकारी ली जा सकती है तथा न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 03 को अतिक्रमित करते हुए मजदूरी की दरों के सन्दर्भ में 1/26 के स्थान पर निविदा/भुगतान मासिक आधार पर सम्पन्न किया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उन्ही दरों पर एक-एक करके निविदा को अधिकतम 03 वर्षों के लिए बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
5. फर्मों द्वारा दरें मासिक आधार पर अंकित की जाएं तदनुसार ही मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
6. सुरक्षा हेतु रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मों की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो एवं रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मों शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट हों।
7. जो कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे, उनका कोई अपराधिक इतिहास न हो। यह सुनिश्चित करना फर्म का दायित्व होगा।
8. उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मों/सुपरवाइजर का पूर्ण विवरण पुलिस सत्यापन के साथ सेवायें प्रारम्भ करने के समय विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

9. सेवा प्रदाता फर्म को सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व वार्षिक सेवा शुल्क/सेवा लागत/विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले कुल भुगतान का, अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में, निर्धारित प्रतिशत को विहित प्राविधानों के अनुसार धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित एजेन्सी को सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों तथा सेवा शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
11. सेवा की मासिक शुल्क/मासिक लागत के भुगतान के देयक से 2 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती विश्वविद्यालय स्तर से की जाएगी।
12. सम्बन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों को श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रदान करना अनिवार्य होगा।
13. उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों का पारिश्रमिक सम्बन्धित फर्म द्वारा सीधे कार्मिकों के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसका प्रमाण/रसीद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ई0पी0एफ0 की धनराशि उनके ई0पी0एफ0 खाते में जमा करनी होगी, जिसका प्रमाण/रसीद विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
14. यदि किसी दिवस को कोई कर्मी अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वयं संस्था को करनी होगी। अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित कर्मी के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
15. संस्था अपने कर्मियों को एक परिचय पत्र जारी करेगी, जिसे सम्बन्धित कार्मिक द्वारा ड्यूटी पर धारण करना अनिवार्य होगा।
16. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से किया गया अनुबन्ध समय से पूर्व समाप्त किया जाना हो तो इसकी सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित रूप में देनी होगी।
17. संस्था द्वारा अनुबन्ध की मासिक धनराशि का देयक माह समाप्त होने के उपरान्त प्रस्तुत करना होगा और देयक का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से 15 कार्यदिवसों में किया जाएगा।
18. निविदा को बिना शर्त निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
19. ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, मैडिकल फेसिलिटी, लेबर रजिस्ट्रेशन, सर्विस चार्ज, न्यूनतम मजदूरी एवं वस्तु एवं सेवाकर इत्यादि के सन्दर्भ में, भुगतान शासन द्वारा समय - समय पर निर्गत शासनादेश उपलब्ध कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित एजेन्सी को तभी किया जाएगा जब एजेन्सी इसका प्रमाण प्रस्तुत करेगी।
20. निविदादाता/फर्मों का पंजीकरण उसी के नाम से आयकर विभाग एवं वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
21. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में उपेक्षा एवं शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित फर्म की सेवायें, धरोहर धनराशि जब करते हुए समाप्त की जा सकती हैं।
22. सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

### घोषणा

मैं/हम.....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली गई हैं, निविदा में दी गई समस्त शर्तें मुझे मान्य है तथा मेरे द्वारा निविदा लिफाफे में बन्द कर एवं मुहरबन्द कर जमा किया जा रहा है तथा समस्त विवरण सही-सही भर दिये गये हैं।

मोबाईल न0 - .....

टेलीफोन न0 - .....

अधिकृत के हस्ताक्षर एवं फर्म /संस्था की मुहर